संख्याः–जी–1–953 / दस–2008–203 / 99

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य)अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 08 दिसम्बर, 2008

विषयः **वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313 / दस–2008–59(एम) / 2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति– 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नतालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रम सं0	ग्रेड–वेतन / वेतनमान (रू0)	श्रेणी–ए, बी–1 तथा बी–2 के नगरों में	श्रेणी–सी के नगरों में	अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	1300	900	450	300
2	1400	930	465	310
3	1650	980	490	325
4	1800	1100	550	365
5	1900	1160	580	385
6	2000	1200	600	400
7	2400	1470	735	490
8	2800	1670	830	555
9	4200	2020	1010	670
10	4600	2760	1380	920
11	4800	2810	1405	935
12	5400	3150	1575	1050
13	6600	3780	1890	1260
14	7600	4480	2240	1490

/क्रमशः

15	8700	6910	3455	2300
16	8900	7280	3640	2430
17	10000	8200	4100	2730
18	12000	9200	4600	3000
19	वेतनमान 80000 नियत	10500	5250	3500

श्रेणी ए, बी–1, बी–2, सी तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरो/क्षेत्रों से संबधित तालिका

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
ए, बी–1, बी–2	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गोतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
'सी'	नजीबाबाद, नगीना, चॉदपुर, बिजनौर, चन्दौसी, सम्भल, अमरोहा रामपुर, देवबन्द, सहारनपुर, रूड़की, शामली, कैराना, मुजफ्फर नगर बड़ौत, भवाना, पिल्खुआ, हापुड़, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद बुलन्दशहर, हाथरस, मथुरा, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, सहसवान, बदॉयू, पीलीभीत, उन्नाव, शाहजहॉपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), रायबरेली, कन्नौज, उरई, फर्रूखाबाद–कम–फतेहगढ़, औरैया, इटावा, झॉसी, ललितपुर, महोबा, बॉदा, फतेहपुर, बेला, प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गौंडा, नवाबगंज, टांडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बस्ती, देवरिया, मउनाथभंजन, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, भदोही, मुगलसराय, मिर्जापुर–कम–विन्ध्यांचल, गंगोह, खतौली, कीरतपुर शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहटा, हाजीपुर दादरी, जहॉगीराबाद, उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, छिबरामऊ, जालौन, कौंच, मउरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकूट के शहरी क्षेत्र।
अवर्गीकृत	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

3– ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे–बैण्ड में अनुमन्य संबधित ग्रेड वेतन से है।

4– अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं।

5– ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त है को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

6– संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नही कराया गया है। यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते हैं अथवा अपने निजी आवास में निवास करते हैं।

क्रमशः

7— ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनॉक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हों, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व मे निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

8— यह आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू होगें।

9— अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या जी–1–953(1)/दस–2008–205/99,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
1— महालेखाकार–1, 2 एव 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 (तीन–तीन प्रतियों मे)
4— सचिव, श्री राज्यपाल।
5— विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
6— निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7— समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।